भारतीय मानक ब्यूरो
BUREAU OF INDIAN STANDARDS
(उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय)
भारत सरकार
(Ministry of Consumer Affairs, Food & Public Distribution)
Government of India

अहमदाबाद शाखा कार्यालय
तीसरा तल, नवजीवन अमृत जयंती भवन,
गुजरात विद्यापीठ के पीछे, ऑफ आश्रम रोड,
अहमदाबाद - 380 014.

Ahmedabad Branch Office
III Floor, Navjivan Amrut Jayanti Bhavan,
Behind Gujarat Vidyapith, Off Ashram
Road, Ahmedabad - 380 014.

URL : http://www.bis.org.in
Email : ahbo@bis.gov.in

दूरभाष / Phone: 27540317, 27540318, 27540319, 27540320

फेक्स / Fax: 079-27540636

प्रेस विज्ञप्ति : अशाका/2019/2

10.07.2019

पैकेजबंद पेयजल के निर्माता इकाईयों में भारतीय मानक ब्यूरो का छापे

भारतीय मानक ब्यूरो के अधिकारियों के दलों ने ब्यूरो से बिना वैध लाईसेंस लिए कंपनियों के पैकेजबंद पेयजल के उत्पादन, पैकिंग और ISI चिन्हाकन् में लिप्त होने की एकत्रित आसूचना के आधार पर दिनांक 10.07.2019 को पैकेजबंद पेयजल के निर्माताओं मैसर्स **शिवशक्ति बिवरेजिस**, प्लाट संख्या 865, सांतेज टाईलस के पास, सांतेज, कलोल गांधीनगर 382721 तथा मैसर्स **रायल बिवरेजिस** प्लाट संख्या 3, सर्वे संख्या 207, खात्रज कलोल गांधीनगर के परिसरों में प्रवर्तन छापे मारे। छापे के दौरान बड़ी मात्रा में भारतीय मानक ब्यूरो के मानक चिह्न (ISI) का दुरुपयोग पाया गया। ISI चिह्न वाले करीब 1003 कार्टन एवं 200 लेबल वाली रोल मैसर्स **शिवशक्ति बिवरेजिस** के यहाँ से तथा 1104 कार्टन एवं 40 लेबल वाली रोल मैसर्स **रायल बिवरेजिस** के यहाँ से सील की गई ।

उत्पाद भारत सरकार द्वारा अधिसूचित अनिवार्य प्रमाणन के अन्तर्गत आता है जिसमें यह समाविष्ट है कि कोई भी व्यक्ति भारतीय मानक ब्यूरो से भामाब्यूरो मानक चिह्न ISI के लिए लाईसेंस लिए बिना उत्पाद का उत्पादन नहीं करेगा। ब्यूरो की पूर्व अनुमति के बिना ब्यूरो मानक चिहन का प्रयोग करने वाले के खिलाफ भामाब्यूरो अधिनियम 2016 के अनुच्छेद 17 के उल्लंघन की कार्रवाई की जाएगी। यह अपराध दण्डनीय है जिसके अर्न्तगत दो वर्ष का कारावास अथवा कम से कम रु. 2,00,000 का आर्थिक दण्ड अथवा दोनों का प्रावधान है ।

बेईमान निर्माता आमतौर पर जनता को धोखा देने के लिए बिना वैध लाईसेंस के भामाब्यूरो मानक चिह्न (ISI चिह्न) का प्रयोग करते हैं। भारतीय मानक ब्यूरो समय समय पर इस प्रकार की सामग्री के उपयोग से धोखा और संभावित सुरक्षा खतरों से आम जनता को बचाने के लिए श्रंखलाबद्ध रुप से दुरुपयोग की प्राप्त/एकत्रित सूचना के अनुसार छापा मारती है। कोई भी व्यक्ति जिसके पास भारतीय मानक ब्यूरो के प्रमाणन चिह्न के दुरुपयोग की जानकारी हो तो वे उसके बारे में प्रमुख, भारतीय मानक ब्यूरो, अहमदाबाद शाखा कार्यालय, तीसरा माला, नवजीवन अमृत जयंती भवन, गुजरात विद्यापीठ के पीछे, ऑफ आश्रम रोड, अहमदाबाद 380014(दूरभाष सं. 27540317) को लिख सकते हैं। शिकायत को ahbo@bis.gov.in अथवा enf@bis.gov.in पर ईमेल द्वारा की जा सकती है। इस प्रकार की सूचना देने वाले की पहचान को अति गोपनीय रखा जाएगा।

10/7/19

(चंदन बहल)
वैज्ञानिक 'एफ' एवं प्रमुख

Scanned by CamScanner